न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,देसूरी(पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्री हँसमुख कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 21/2017
तारीख दायरा :– 19.05.2017

वादीगण :–

1. चुना पुत्र मगाजी
2. भुड़ा पुत्र मगाजी
3. धना पुत्र मगाजी
4. फुआ पुत्र पिथारामजी
   तमाम जातिगण–सिरवी, निवासीगण–नाडोल
   तहसील–देसूरी जिला–पाली

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. लच्छा पुत्र देवाजी
2. पका पुत्र देवाजी
3. मेगा पुत्र देवाजी
4. खीमा पुत्र पनाजी
5. फुली पुत्री केसाजी
6. मांगीलाल पुत्र केसाजी
7. तीजो पत्नि पोमाजी
8. कानाराम पुत्र पोमाजी
9. बाबुलाल पुत्र पोमाजी
10. सुरेश पुत्र पोमाजी
11. वक्ताराम पुत्र पोमाजी
12. रूपा पुत्र चेनाजी
    तमाम जातिगण–सिरवी, निवासीगण–नाडोल
    तहसील–देसूरी जिला पाली राजस्थान
13. तहसीलदार देसूरी(भूमिधारक राज्य सरकार की ओर से)
    जिला–पाली राजस्थान

लगातार पेज 2 पर

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश कुमार माली – अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री पुखराज चौधरी – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक :–30.11.2018**

वादी द्वारा यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है :–

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम नाडोल चक द्वितीय में वर्तमान खाता संख्या 1063 में खसरा नम्बर 3361 रकबा 0.01 हे. किस्म गे.मु., 3362 रकबा 0.07 हे. किस्म गे.मु., 3363 रकबा 19.88 हे. किस्म चाही जाव दोयम कुल खसरा 3 कुल रकबा 19.96 हे. लगान 281/– रूपये प्रतिवर्ष स्थित है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/10 हिस्सा बेरा खेजरी वाला खातेदारी का स्थित है। इसी प्रकार अन्या खाता संख्या 797 में ख.न. 2798 रकबा 3.55 हे. किस्म चाहीजाव अव्वल, ख.न. 2799 रकबा 1.82 हे. किस्म चाही जाव अव्वल, ख.न. 2800 रकंबा 2.68 हे. किस्म चाही जाव अव्वल, ख.न. 2801 रकबा 3.45 हे. किस्म चाही जाव अव्वल, ख.न. 2802 रकबा 0.01 हे. किस्म गे.मु. ख.न. 2803 रकबा 0.05 हे. किस्म गे.मु. ख.न. 2804 रकबा 0.54 हे. किस्म चाही जाव प्रथम कुल खसरा 7 कुल रकबा 12.10 हे. लगान रूपये 383.05 प्रतिवर्ष बेरा नया अरठ वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खोतदारी तथा वर्तमान खाता संख्या 979 ख.न. 3057 रकबा 3.26 हेक्टर किस्म चाही जाव प्रथम, ख.न. 3083 रकबा 7.33 हे. किस्म चाही जाव प्रथम, ख.न. 3084 रकबा 4.15 हे. किस्म चाही जाव प्रथम ख.न. 3160 रकबा 0.01 हे. किस्म गे.मु., ख.न. 3161 रकबा 0.08 हे. किस्म गे.मु., ख.न. 3162 रकबा 4.69 हे. किस्म चाही जाव प्रथम, कुल खसरा 6 कुल क्षेत्रफल 19.52 हे. लगान रूपये 640.58 प्रतिवर्ष बेरा खोडपा की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की 1/10 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का विद्यमान है। पूर्व में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज डायारामजी के कब्जा खातेदारी की विद्यमान थी। स्व. डायारामजी के तीन पुत्र पीथाराम, पन्नाराम एवं चेनाराम थे, जिनको खातेदारी हक बराबर–बराबर हासिल हुये। वादग्रस्त उपरोक्त कृषि भूमि को चक बन्दी एवं कब्जा काश्त की सहुलियत के अनुसार पीथाराम , पन्नाराम एवं चेनाराम ने आपसी मौखिक सहमति के अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर बेरा खोडपा एवं खेजरीवाला ख.न. 3361, 3362, 3363, 3057, 3083, 3084, 3160, 3161, 3162 की कुल

लगातार पेज 3 पर

आराजी मे निहित 1/10 हिस्सा के सम्पूर्ण हक हकूक वादीगण के कब्जा बंट मे रखे तथा प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि मे से अपने हक अधिकार छोडकर कब्जा काश्त वादीगण को सुपर्द किया। इसी प्रकार माफिफ विभाजन बेरा नवा अरठ ख.न. 298 से 2804 की आराजी के सम्पूर्ण हक अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 से 12 में निहित हुये जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी 11 व 12 को 1/2 संयुक्त हक अधिकार प्राप्त हुये। वादीगण ने माफिफ विभाजन उक्त बेरा नवा अरठ की सम्पूर्ण कृषि भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण 1 से 12 को सुपर्द किया एवं वादग्रस्त आराजी बेरा खोड़पा एवं खेजरीवाला में 1/10 हिस्सा की भूमि पर वादीगणों का कब्जा काश्त माफिफ विभाजन के चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 13 फोरमल पक्षकार होना तथा खाता संख्या 979, 1063 के अन्य सहखातेदारों के कोई हक प्रमाणित नहीं होने से आवश्यक प्रभावी पक्षकार नहीं होना अंकित किया। निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 12 के पूर्वजों द्वारा किये गये मौखिक बंटवारा के अनुसार बेरा खेजरीवाला ख.न. 3361, 3362, 3363 कुल रकबा 19.96 हे. तथा बेरा खोडपा वाला ख.न. 3057, 3083, 3084, 3160, 3160, 3161, 3162 कुल रकबा 19.52 हे. के संयुक्त 1/10 हिस्सा में वादीगण को खातेदार घोषित कर उक्त 1/10 हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 1 से 12 का नाम अधिकार अभिलेखों में से विलोपित करने तथा बेरा नवा अरठ ख.न. 2798, से 2804 रकबा 12.10 हे. में से वादीगण का नाम अधिकार अभिलेखों से विलोपित करने एं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी 11 व 12 का 1/2 हिस्सा खातेदारी रेकार्ड में दर्ज कराये जाने की डिकी किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत वाद संस्थापित कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की और से मय वकील उपस्थित होकर वादपत्र को स्वीकार कर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर माफिफ वादपत्र वाद वादीगण डिकी किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकुलाय को सुना गया। पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकील वादी ने हमारे समक्ष निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :– (1) ए.आई.आर. (राजस्थान उच्च न्यायालय) 2008, पेज 1330 रामचरण शर्मा उद्धहरण प्रस्तुत कर निवदेन किया कि हिन्दु अधिनियम के अन्तर्गत पेतृक सम्पति का मौखिक विभाजन भी मान्य है। (2) इसी प्रकार 2011(3) सुप्रीम 84 का उद्धहरण जो गणेश बनाम अशोक एवं अन्य मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित है प्रस्तुत कर निवेदन है कि **Transfer of Property Act.**-1882 की धारा 5 में पारिवारिक सेटलमेंट को सम्पति का हस्तान्तरण नहीं माना जा सकता है। साथ ही (3) आर.आर.टी. 2009(2) पेज 1337 का उद्धहरंण प्रस्तुत किया, जिसके पेरा 9 एवं 16 की और हमार ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया सह कृषक कृषि भूमि के संबंध में समझौता कर सकते है, समझौता लिखित में होना आवश्यक नहीं है एवं पंजिकरण की आवश्यकता भी नहीं है। साथ ही

लगातार पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

सहकाश्तकारों जिनके हक प्रभावित नहीं है, उन्हे पक्षकार बनाये जाने के बिना वाद निर्णित किया जा सकता है। प्रस्तुत उद्धहरणों का आदपूर्वक अवलोकन किया। वकील प्रतिवादीगण भी उक्त तथ्यों से सहमत है।

उपरोक्त विवेचन से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य प्रतीत होता है जिसे स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा नाडोल चक द्वितीय के ख.न. 3361, 3362, 3363 कुल रकबा 19.96 हे. बेरा खेजरीवाला तथा ख.न. 3057, 3083, 3084, 3160, 3161, 3162 कुल रकबा 19.52 हे. बेरा खोडपा में वादीगण का 1/10 हिस्सा खातेदारी घोषित की जाती है। राजस्व रेकार्ड में उक्त 1/10 हिस्सा में प्रतिवादीगण 1 से 12 का नाम विलोपित कर वादीगण का 1/10 हिस्सा खातेदारी दर्ज किया जावे तथा वादग्रस्त भूमि ख.न. 2798 से 2804 कुल रकबा 12.10 हे. बेरा नवा अरठ में से वादीगणों का नाम विलोपित कर प्रतिवादीगण सख्या 1 से 3, 5 से 10 को 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 11, 12 का 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि घोषित की जाती है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जावें। डिक्री परचा मुर्तिब किया जावें। निर्णय एवं डिक्री परचा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार देसूरी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

सहायक कलक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र 5

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली)
पीठासीन अधिकारी :– श्री हँसमुख कुमार आर.ए.एस.

वादीगण	ब ना म	प्रतिवादीगण
1. चुना पुत्र मगाजी 2. भुरा पुत्र मगाजी 3. धना पुत्र मगाजी 4. फुआ पुत्र पिथारामजी तमाम जातिगण–सिरवी,निवासीगण–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली		1. लच्छा पुत्र देवाजी 2. पका पुत्र देवाजी 3. मेगा पुत्र देवाजी 4. खीमा पुत्र पनाजी 5. फुली पुत्री केसाजी 6. गांगीलाल पुत्र केसाजी 7. तीजो पत्नि पोमाजी 8. कानाराम पुत्र पोमाजी 9. बाबुलाल पुत्र पोमाजी 10. सुरेश पुत्र पोमाजी 11. वक्ताराम पुत्र पोमाजी 12. रूपा पुत्र चेनाजी तमाम जातिगण–सिरवी,निवासीगण–नाडोल तहसील–देसूरी जिला पाली राजस्थान 13. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारक राज्य सरकार की ओर से) जिला–पाली राजस्थान

दावा बाबतं 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
मुकदमा नम्बर :– 21/2017
निर्णय दिनांक :– 30.11.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कताई रूबरू हमारे वकील वादीगण श्री दिनेश कुमार माली हाजिर मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 वकील श्री पुखराज चौधरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट बाद अवलोकन पत्रावली वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा नाडोल चक द्वितीय के ख.न. 3361, 3362, 3363 कुल रकबा 19.96 हे. बेरा खेजरीवाला तथा ख.न. 3057, 3083, 3084, 3160, 3161, 3162 कुल रकबा 19.52 हे. बेरा खोडपा में वादीगण का 1/10 हिस्सा खातेदारी घोषित की जाती है। राजस्व रेकार्ड में उक्त 1/10 हिस्सा में प्रतिवादीगण 1 से 12 का नाम विलोपित कर वादीगण का 1/10 हिस्सा खातेदारी दर्ज किया जावे तथा वादग्रस्त भूमि ख.न. 2798 से 2804 कुल रकबा 12.10 हे. बेरा नवा अरठ में से वादीगणों का नाम विलोपित कर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एवं 5 से 10 को 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 11, 12 का 1/2 हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि घोषित की जाती है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जावें एवं तहसीलदार देसूरी को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु डिक्री परचा की एक प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह नवम्बर सन् 2018 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी